९/

<u>संख्या-677/2026/907/नौ-5-2026/001-Com.No.-2006167</u>

प्रेषक,

देवेश मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम-2.0),नगरीय निकाय निदेशालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2026

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय-2.0 के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग मद के मानक मद संख्या-35 से मानक मद संख्या-20 में पुर्नविनियोग करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने के पत्र संख्या-पी०एम०यू०/1019/498(2)/2023, दिनांक 10-02-2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय-2.0 के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग मद के मानक मद-35 से पुनर्विनियोग के माध्यम से मानक मद-20 में धनराशि **रू० 16,25,62,000 (रू० सोलह करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार मात्र)** को निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) अवमुक्त धनराशि का भुगतान राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम-2.0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से एस.एन.ए स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से नियमानुसार की जायेगी।

(2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्ध के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 16,25,62,000 (रुपये सोलह करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070513 कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-385-X-2025-26- दिनांक: 28-2-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र),
संयुक्ते सचिव।

संख्या-677/2026/907(1)/नौ-5-2026/001-Com.No.-2006167, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3-संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।

4-निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

6-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।

7-निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।

8-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

9-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12-निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

13-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र),
संयुक्ते सचिव।